न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या ......243.......... / 2020

धारा 107 दं॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिश।

देवनन्दन यादव बनाम मोफिजा खातुन

स्थानीय पुलिस सरिया थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से प्रतीत होता है कि जमीन संबंधित विवाद को लेकर आपस में तनाव।

जिसके कारण उभय पक्ष के बीच शान्ति-व्यवस्थाभंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं फलस्वरूप उस क्षेत्र में शान्तिभंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता-है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शान्ति बनाए रखने हेतु निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष / विपक्षी सदस्यों के विरूद्ध धारा 107 दं॰ प्र॰ सं॰ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा इनसे दिनांक ...11...../...12...../2020........ को कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं उन्हेंआदेश की तिथि से एक साल के लिए शान्ति बनाए रखने हेतु 5000/- रूपये के दो-दो प्रतिभूतियों के साथ बन्ध-पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाय।

लेखापित :-

(हस्ताक्षर) 7/11/20

अनु॰ दण्डा॰
बगोदर सरिया

अनु॰ दण्डा॰
बगोदर सरिया

11.12.2020 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख निर्णय 18.01.2021 को रखें। (हस्ताक्षर)

अनु॰ दण्डा॰
बगोदर सरिया

वाद संख्या - 243/2020

देवनन्दन यादव बनाम मोफिजा खातून

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 05.07.2021 को आयोजित लोक अदालत में रखें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद की अवधि छः मास से अधिक हो गई तथा उभय पक्षों के बीच कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत 2021 में इस वाद को समाप्त किया जाता है तथा अभिलेख की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.01.17 12:06:33 +05:30
Location: 192.168.43.238